न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, बाढ़

उपस्थितः— अमित कुमार दीक्षित

नियमित जमानत आवेदन संख्या 88 / 2026

मोकामा थाना कांड संख्या 196 / 2025

23.03.2026 इस कांड में दिनांक **07.01.2026** से काराधीन आवेदक / अभियुक्त **राज कुमार** की ओर से दिनांक 10.02.2026 को नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। सूचक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता नवीन वकालतनामा के साथ न्यायालय में उपस्थित हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है। आवेदक निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। प्राथमिकी में जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार की घटना नहीं हुई है। आवेदक पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक के पास से कोई विशेष साम्रगी बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक के विरूद्ध हत्या करने एवं फायरिंग का आरोप गलत है। कथित घटना एवं घटनास्थल से आवेदक का कोई संबंध नहीं है, बल्कि मृतक की मृत्यु गिरने से हुई है। अतः आवेदक के विरूद्ध धारा 103(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला नहीं बनता है। आवेदक के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आरोप नहीं है। आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक दिनांक 07.01.2026 को स्वेच्छा से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। आवेदक को ग्रामीण दुश्मनी के कारण झुठे केस में फंसा दिया गया है। आवेदक दिनांक 07.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक न्यायालय की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है, इसलिए इन्हें किसी भी शर्त का जमानत दिया जाय, जमानतदार देने को तैयार हैं।

अभियोजन ने नियमित जमानत आवेदन का पूरजोर विरोध करते हुए कथन करते हैं कि जब सूचक, उसका भाई एवं उसके पिता परवल लगे खेत में परवल तोड़ने गया तो परवल तोड़ने के क्रम में अचानक सूचक के ग्रामीण राज कुमार एवं सिधो राय एवं 6 अज्ञात व्यक्तियों के साथ गाली—गलौज और फायरिंग करते हुए वहां आए जिन्हें देखकर येलोग वहां से भागे, लेकिन सूचक के पिता को उनलोगों ने पकड़ लिया और राज कुमार तथा सिधो राय ने मिलकर इनके पिता को लाठी एवं रड से मारते—मारते बेहोश कर दिया और मृत समझकर वहां से छोड़कर चला गया। फिर येलोग उन्हें लेकर मोकामा रेफरल अस्पताल आए जहां बयान देने के बाद सूचक के पिता की मृत्यु हो गई।

उपर्युक्त नियमित जमानत पर उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे मैं पाता हूं कि इस वाद में प्राथमिकी मोकामा थाना कांड सं0 196 / 2025 दिनांक 10.05.2025 को धारा 103(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है तथा सूचक के द्वारा प्राथमिकी में यह अभियोग लगाते हुए कथन किया गया है कि दिनांक 10.05.2025 को सुबह 7 बजे मैं अपने पिता स्व0 अशेषर यादव एवं भाई बिरजु के साथ टेनियर दियारा में मनोजी सिंह के बटाईपर लिए खेत में परवल तोड़ने गया था। परवल तोड़ने के क्रम में अचानक मेरे ही ग्रामीण राज कुमार एवं सिधो राय एवं 6 अज्ञात व्यक्तियों के साथ गाली—गलौज और फायरिंग करते हुए वहां आए जिन्हें देखकर हमलोग वहां से भागे, लेकिन मेरे पिता को उनलोगों ने पकड़ लिया और राज कुमार तथा सिधो राय ने मिलकर मेरे पिता को लाठी एवं रड से मारते—मारते बेहोश कर दिया और मृत समझकर वहां से छोड़कर चला गया। फिर हमलोग उन्हें लेकर मोकामा रेफरल अस्पताल आए जहां अपना बयान देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। घटना का कारण यह है कि मेरे भाई बिरजु ने राज कुमार को मोबाईल के लिए 6,000 / — रुपया दिया था, लेकिन 4 माह हो जाने के बाद भी न तो मोबाईल दिया और न ही वापस पैसा दिया। इसी बात को लेकर राज कुमार ने मेरी मां उसना देवी को बुरी तरह मारपीट किया था और उसका हाथ भी तोड़ दिया था। जिसके लिए मेरी मां दिनांक 08.05.2025 को मोकामा थाना में आवेदन देकर मुकदमा किया था। फिर ग्रामीणों ने मेलजोल करवा दिया था कि अब कोई घटना नहीं होगी। तब हमलोग खेत पर गए थे। इसी कारण से उनलोगों ने मेरे पिता का हत्या कर दी, क्योंकि आते समय वेलोग बोल रहे थे कि

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, बाढ़

उपस्थितः— अमित कुमार दीक्षित

नियमित जमानत आवेदन संख्या 88 / 2026

मोकामा थाना कांड संख्या 196 / 2025

लगातार

23.03.2026 इसको खत्म कर दो। तब कोई हिम्मत हमलोगों के खिलाफ थाना में जाने की हिम्मत नहीं करेगा। राज कुमार पहले से भी मोकामा थाना में अभियुक्त है और क्षेत्र में दहसत फेलाए हुए है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी अभिलेख के साथ संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि कांड दैनिकी के कंडिका 2 में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है जिसमें मृत्यु का कारण चोट के कारण मृत्य का कारण प्रतीत होता है, कंडिका 3 में फोरेंसिक जांच प्रतिवेदन है, कंडिका 17 में वादी का बयान है, कंडिका 18 में साक्षी का बयान है जिसमें साक्षी के द्वारा घटना का पूर्ण समर्थन किया गया है, कंडिका 23 में घटनास्थल है, कंडिका 88 में पर्यवेक्षण टिप्पणी है जिसमें प्रस्तुत मामला आवेदक एवं अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 103(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम के तहत सत्य प्रतीत होता पाया गया है, कंडिका 97 में अन्त्य परीक्षण रिपोर्ट है जिसमें Cause of death के रूप में Cardio respiratory arrest, caused by hypovolemic shock caused by several internal hemorrhages के तहत all the injuries are antimartem in nature and caused by hard and blunt substance के रूप में पाया गया है। इस प्रकार एंटीमार्टम इंज्यूरिज और मृत्यु के कारण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मारपीट के द्वारा घटना कारित किया गया। यद्यपि कि आवेदक दिनांक 07.01.2026 से काराधीन हैं, परंतु अभिलेख एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मारपीट के द्वारा हत्या की गंभीर घटना कारित की गई है तथा प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अनुसार आवेदक की संलिप्तता पाई गई है।

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों, प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अनुसार मामले की गंभीरता एवं आवेदक की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर उपनिहित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है। इस आदेश में की गई टिप्पणी जमानत आवेदन निष्पादन होने तक सीमित है, इस कांड में अन्वेषण, जांच या विचारण के स्तर पर गुण—दोष को प्रभावित नहीं करेगा।

लेखापित एवं शुद्धित

Sd/-

(अमित कुमार दीक्षित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—पंचम, बाढ़